वित्त निर्देश 2001/33

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

क्रमांक 293/332/वित्त/नियम/चार/2001 रायपुर,दिनांक 19 दिसंबर, 2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, छत्तीसगढ़

विषयः- म.प्र. पुनरीक्षण नियम 1998 के नियम-10(2) के संबंध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भः- म.प्र. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक-317/2402/2000/सी/चार, भोपाल दिनांक 03.02.2001 (प्रतिलिपि संलग्न)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के संदर्भित पत्र के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्पष्टीकरण छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों को भी यथावत लागू होंगे ।

2. पत्र के पैरा-3 में दर्शाये अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संलग्नः- एक

(आर.एस. विश्वकर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन. वित्त विभाग

पृ.क्र. 294/332/नियम/चार/2001 रायपुर, दिनांक 19.12.2001

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।

5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ, ग्वालियर/रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग., शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर ।
10. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
13. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
14. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
15. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
16. अध्यक्ष, शासन से मान्यता प्राप्त समस्त कर्मचारी संगठन/संध, छ.ग. ।
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
18. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
20 समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
21. समस्त सदस्य, पेंशनर कल्याण मण्डल/कार्यकारिणी समिति, छ.ग., रायपुर ।
22. नियंत्रक, शासकीय लेखा सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 317/2402/2000/सी/चार भोपाल, दिनांक 03.02.2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषय:- म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के नियम 10 (2) के संबंध में स्पस्टीकरण ।

म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के नियम 10 (2) के अन्तर्गत ऐसे प्रकरणों जहां पदोन्नति के पूर्व एवं पदोन्नति के पश्चात् के विद्यमान वेतनमान पृथक-पृथक थे तथा ऐसे विद्यमान वेतनमानों का पुनरीक्षित वेतनमान एक ही नियत किया गया है वहां पदोन्नति पश्चात् विद्यमान वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवक को इन नियमों के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में 250/- प्रतिमाह विशेष वेतन की पात्रता होगी, का प्रावधान है ।

2. इस संबंध में कतिपय कर्मचारी संघों ने उक्त नियम 10 (2) के अंतर्गत विशेष वेतन की पात्रता के संबंध में अनेक उत्पन्न भ्रांतियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिये सामान्य परिपत्र सभी विभागों के लिये जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

3. अत: उक्त नियम 10(2) के प्रावधानों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1.1.96 या उसके पश्चात विद्यमान वेतनमान क्लबिंग के कारण एक हो जाने से पुनरीक्षित वेतनमान में पदोन्नति के पश्चात के वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवक को पुनरीक्षित वेतनमान के साथ रू 250/- विशेष वेतन की पात्रता होगी । ऐसे शासकीय सेवक को पदोन्नति पर मूलभूत नियम 22(डी) अथवा 22(ए) (1) का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा एवं जिनकी पदोन्नति 1.1.96 के पूर्व हुई है उन्हें रू.250/- विशेष वेतन की पात्रता नहीं होगी । इन निर्देशों के जारी होने के पूर्व किसी कर्मचारी को यदि त्रुटिपूर्व तरीके से अथवा वित्त विभाग के पूर्व निर्देशों के तहत यदि विशेष वेतन रू.250/- का भुगतान यदि किया जाता है तो उसकी वसूली कार्यालय प्रमुख द्वारा किश्तों में समायोजित कर ली जाये ।

वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. 1177/1087/2000/सी/चार, दिनांक 1.6.2000 द्वारा वन संरक्षक उज्जैन वृत्त को दिया गया मार्गदर्शन भी निरस्त किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता/-
(अशोक दास)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग